NOTE-1

1. NO OTHER STRUCTURE ERECTED NOR ANY OTHER SERVICE RENDERED EXCEPT THAT CONNECTED WITH PETROL PUMP WITHOUT PRIOR APPROVAL OF P.W.D.
2. THE BERM PORTION IS NOT INCLUDED IN THE AREA TO LEASED FROM P.W.D.FOR APPROACH ROAD BUT TO BE MEDALLED BY THE COMPANY.
3. SUCTION PIPE UNDER DRIVE WAY TO BE HOUSE IN PIPE SLEEVE FILLED WITH SAND.
4. BOTH THE TANK.ARE NOT TO BE REPLENISHED AT THE SANE TIME.
5. 37MM AIR VENT PIPE 4.0M HIGH FROM G.L. ON ITS ENDS TWO LAYERS OF NON-CORRODIBLE METAL WIRE GAUGE OF 11 MESH PER LINEAR CM IS TO BE PROVIDED.
6. ALL ELECTRICAL FITTING CONFORM TO I.S.: 2148.FOR DISPENSING UNITS.
7. TANKS TO BE FED BY TANK LORRY ONLY.
8. D.P.S.BOARD 1.5M FROM G.L.& NOT BE KEPT UNDER LOCK & KEY.
9. NO SMOKING SIGN IS TO BE DISPLAYED PROMINENTLY.
10. ALL STRUCTURE ON GOVT.LAND SHALL BE TEMPORARY.
11. ALL DIMENSIONS ARE IN MM UNLESS STATED OTHER WISE.
12. 4 NOS FIRE-EXTINGUISHERS DRY-CHEMICAL TYPE ARE PROVIDED IN LICENCED PREMISES.
13. 8 NOS FIRE-BUCKET FILLED WITH SAND ARE PROVIDED IN LICENCED PREMISES.
14. FILL POINTS 4.0M CLEAR ALL AROUND.
15. VENT PIPE SHALL BE 4.0M HIGH & 4.0M CLEAR ALL AROUND.
16. VEVT HOOD FITTED WITH TO LAYERS OF NON-CORRODIBLE METAL WIRE GAUGE OF 11 MESH PER LINEAR CM.
17. APPROACHES SHOULD HAVE MIN. PAVEMENT COMPOSITION OF 150MM GSB WBM GR OF 75MM BM EACH,50MM BM AND 25MM SDC
18. NO CASE AGAINST THE LAND IS PENDING IN ANY COURT.
19. THE TANK ARE FABRICATED AS PER IS: 10987 OF 1992 (RE- AFFIRMED IN 1998).
20. NO HIGH TENSION LINE IS PASSING THROUGH THE PREMISES.
21. TANKS KERB WALL 0.25M.THICK & 0.30M. HIGH FROM FLOOR LEVEL PROVIDED TO THE EARTH BURIED.
22. FLAMMABLE FLEX BOARD HOARDING SHOULD NOT BE USED.

SITE INFORMATION

KHASRA NO.	28 KA
VILLAGE	DEVLAN
PARGANA	GHAZIPUR
TEHSIL	FATEHPUR SADAR
DISTRICT	FATEHPUR
STATE	UTTAR PRADESH
POLICE STATION	GHAZIPUR
RAILWAY STATION	GHAZIPUR
POST OFFICE	DEVLAN
PIN CODE	212601

TRAFFIC SIGNS:-
(IRC: 67 AND IRC:SP: 55)

Ⓐ:-Fuel Station Ahead at 1 km & 500m	
Ⓑ:-Fuel Station	
Ⓒ:-Fuel Station Ahead	
Ⓓ:-Giveway	▽
Ⓔ:-Oneway	
Ⓕ:-No Entry	
Ⓖ:-Compulsory Direction Control	
Ⓗ:-No Right Turn	
Ⓘ-No Right Turn	
Ⓙ:-Fuel Station Board	

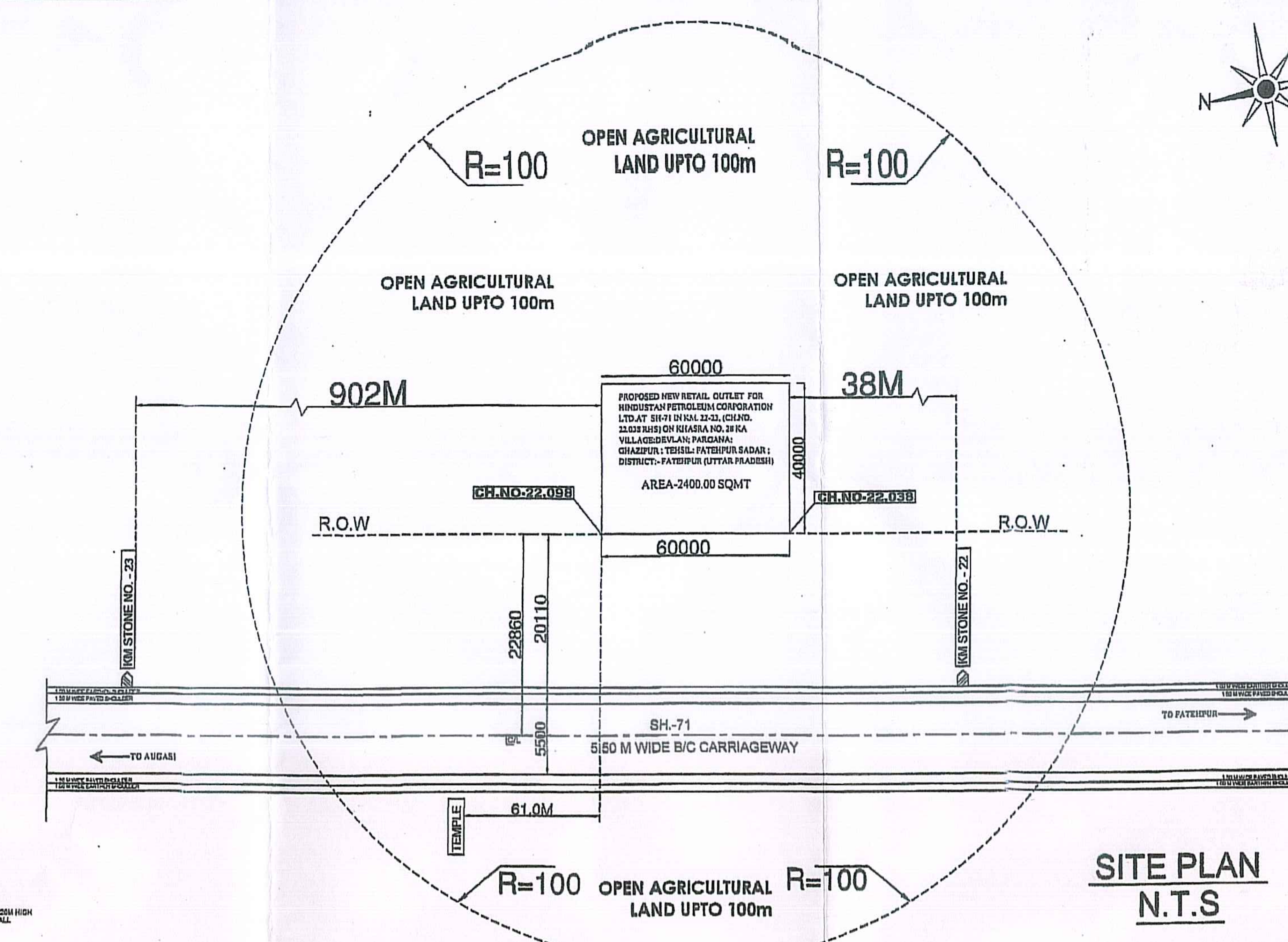

SITE PLAN
N.T.S

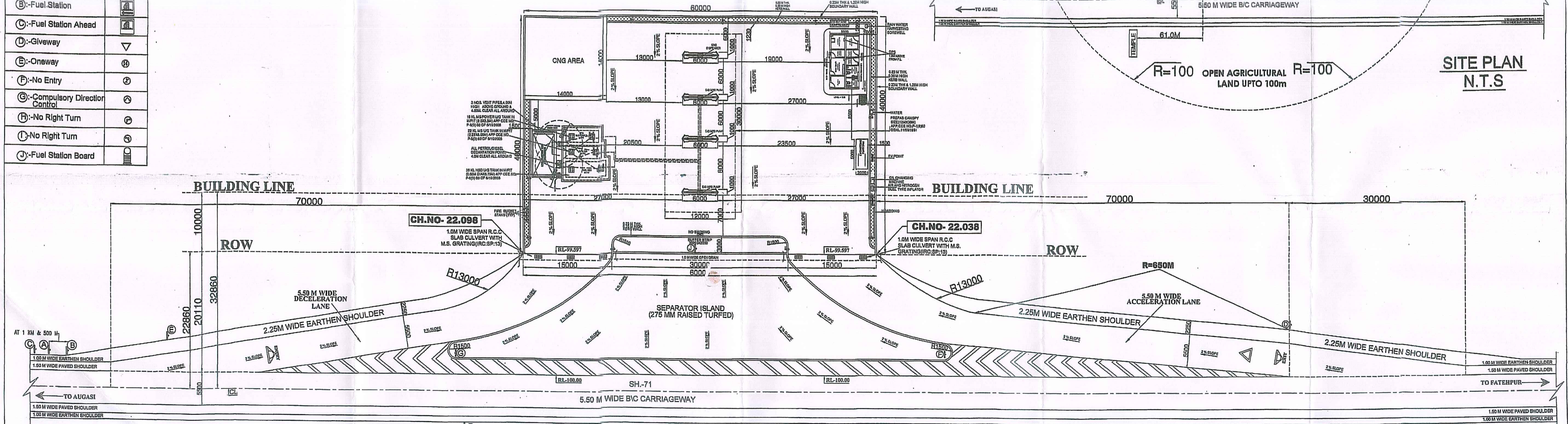

FUEL STATION LAYOUT PLAN

DETAIL OF BUFFER STRIP, FUEL PUMP, OFFICE, KIOSK LUBRITORUIM, AIR AND WATER SUPPLY, DECELERATION, ACCELERATION LANES, TRAFFIC SIGNS & CHEVRON MARKING
(SCALE- 1:200)

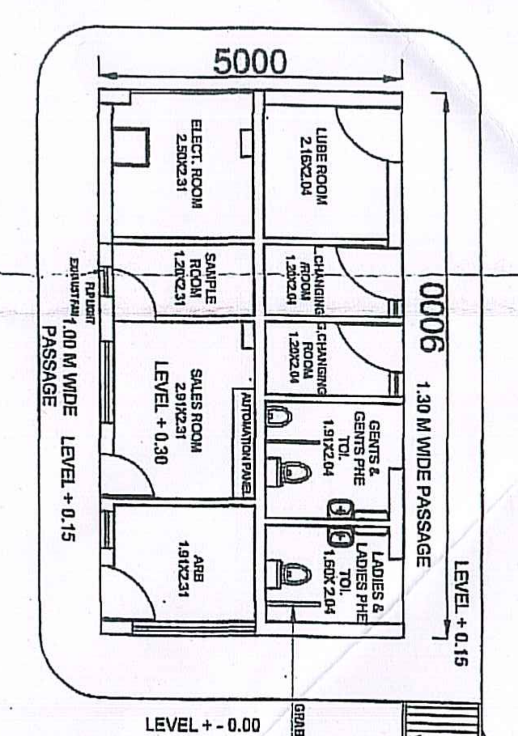

SALES BUILDING DETAIL

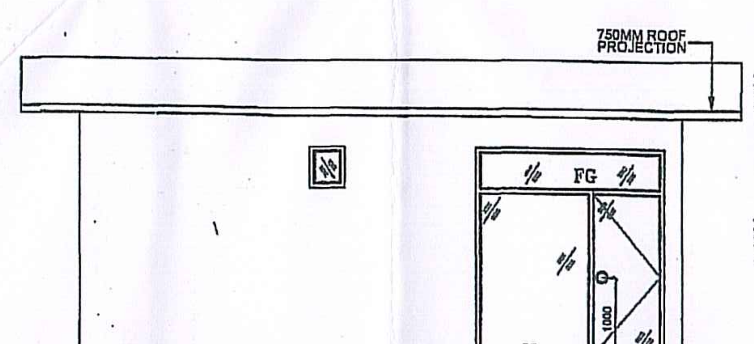

FRONT ELEVATION

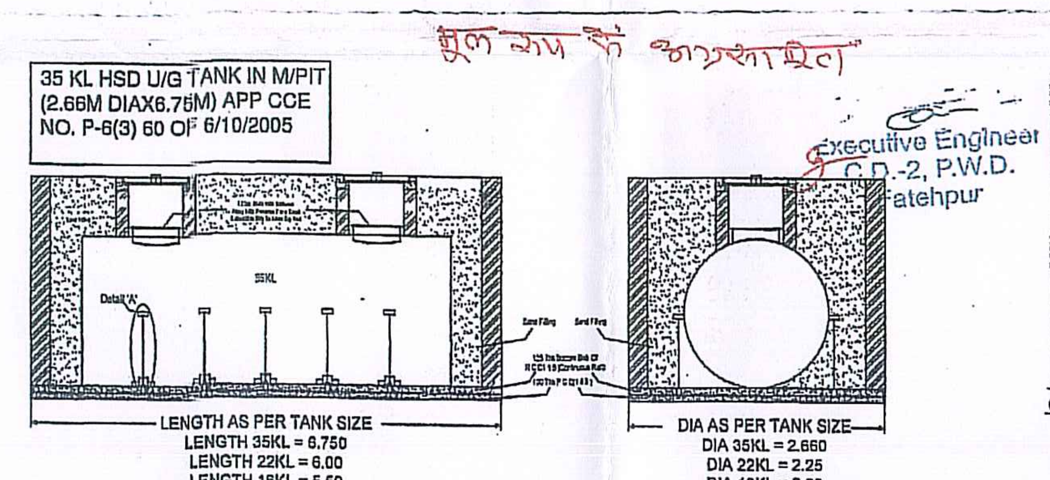

INSTALLATION DETAILS OF TANK IN MASONRY PIT

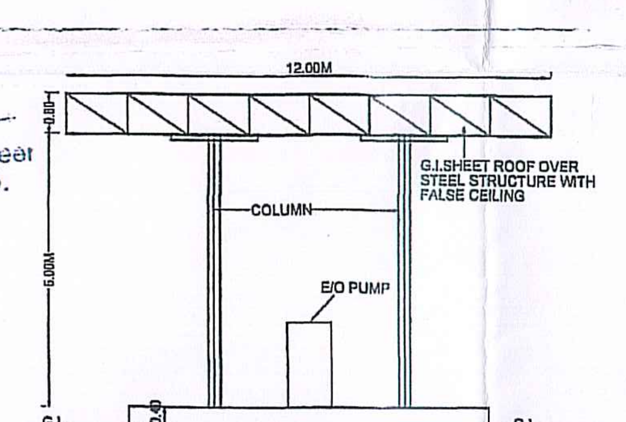

DETAILS OF STEEL STRUCTURE OF STEEL CANOPY (SCALE - N.T.S)

STEEL STRUCTURE OF CANOPY CONFIRMSTO IS:2026 WELDING OF STEEL STRUCTURE CONFIRMS TO IS:4943

Executive Engineer C.D.-2, P.W.D. Fatehpur

HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LTD.

Ground Floor, 88-A, Gowardhan Purwa, Saket Nagar, Hamirpur Road, Kanpur-208014

PROPOSED NEW RETAIL OUTLET FOR HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LTD.AT SH-71 (IN KM. 22-23) (CH.NO. 22.038 RHS) ON KHASRA NO.-28 KA VILLAGE:DEVLAN; PARGANA: GHAZIPUR ; TEHSIL: FATEHPUR SADAR ; DISTRICT:- FATEHPUR (UTTAR PRADESH)

SCALE: AS SHOWN	CHECKED/ APPROVED BY:-	DRG.NO. HPC/KNP/2021/28	L.NO. P/CC/UP/14/
REVISED BY:- Er.MD.Qasim Hussain (Vidya Sagar Contractor,Lucknow) MOB.NO.-9026950667			DATE: 30/10/2021
DRAWN BY:- PLANNERS KONCEPT CHUNNI GANJ,KANPUR			SERIAL NO.- 656
			REVISION:

SIDDHARTH JAIN
Chief Regional Manager
Kanpur Retail Regional Office
Hindustan Petroleum Corporation Limited

उत्तर प्रदेश सरकार
लोक निर्माण विभाग

कार्यालय मुख्य अभियन्ता
Office of the Chief Engineer
प्रयागराज क्षेत्र, लो०नि०वि०, प्रयागराज
Prayagraj Zone, PWD Prayagraj

2 सी बेली रोड, प्रयागराज–211002
2-C Beli Road, Prayagraj-211002
0532–2440036
cepwdald@gmail.com

पत्रांक :– 72 /129 याता(फते०)–प्रया०क्षे० / 2021 दिनांक :– 12 /01 / 2022

सेवा में,

जिलाधिकारी,
फतेहपुर।

विषय :– **श्री विनोद कुमार, पुत्र श्री कंधई लाल, निवासी–मलाका, थाना–गाजीपुर, तहसील–सदर, जनपद–फतेहपुर के पक्ष में भूमि स्थित ग्राम–देवलान, परगना–गाजीपुर, तहसील–सदर, जनपद–फतेहपुर गाटा सं०–28क पर फतेहपुर बबेरु अतर्रा नरैनी करतल मार्ग (राज्य मार्ग) के किमी०–23 (चैनेज 22.038–22.098) के बाये तरफ हिन्दुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के द्वारा प्रस्तावित नये (पेट्रोल/डीजल) रिटेल आउटलेट पम्प की स्थापना किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ :– कार्यालय जिलाधिकारी(आयुध अनुभाग), फतेहपुर का पत्रांक 34 / 20–विविध / आयुध–रि०आ० / 2021 दिनांक 23.11.2021, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–2, लो०नि०वि०, फतेहपुर का पत्रांक 1609 / सी–1 / 2021 दिनांक 22.12.2021 एवं अधीक्षण अभियन्ता, प्रतापगढ़ वृत्त, लो०नि०वि०, प्रतापगढ़ का पत्रांक 5783 / 1सी०–प्र०फ०वृ० / 2021 दिनांक 31.12.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा श्री विनोद कुमार, पुत्र श्री कंधई लाल, निवासी–मलाका, थाना–गाजीपुर, तहसील–सदर, जनपद–फतेहपुर के पक्ष में भूमि स्थित ग्राम–देवलान, परगना–गाजीपुर, तहसील–सदर, जनपद–फतेहपुर गाटा सं०–28क पर फतेहपुर बबेरु अतर्रा नरैनी करतल मार्ग (राज्य मार्ग) के किमी०–23 (चैनेज 22.038–22.098) के बाये तरफ हिन्दुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के द्वारा प्रस्तावित नये (पेट्रोल / डीजल) रिटेल आउटलेट पम्प की स्थापना हेतु प्रेषित किया गया है। अधिशासी अभियन्ता / अधीक्षण अभियन्ता की संस्तुति के आधार पर निम्न शर्तो के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

1. उ०प्र० रोड साइड भूमि नियंत्रण अधिनियम 1964 की धारा–7(।।) के अन्तर्गत राज्य मार्गो पर नगर सीमा के अन्दर, मार्ग के मध्य बिन्दु से 75 फिट से कम दूरी पर प्रस्तावित कार्य की बाउण्ड्रीवाल का स्थायी / अस्थायी निर्माण न कराये जाने से सम्बन्धित प्रतिशपथ पत्र आउटलेट स्वामी से लेने के पश्चात ही अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाय।
2. संलग्न मानचित्र के अनुसार मार्ग के मध्य बिन्दु से 22.86 मी० की दूरी पर एक तरफ की भूमि पर किसी प्रकार का स्थायी / अस्थायी निर्माण न कराये जाने से सम्बन्धित प्रतिषपथ पत्र आउटलेट स्वामी से लेने के पश्चात ही अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाय।
3. प्रस्तावित कार्यस्थल की भूमि का आउटलेट के स्वामी के नाम बतौर भूस्वामी दर्ज होने अथवा भूस्वामी द्वारा आउटलेट के स्वामी के नाम पंजीकृत लीज–डीड के निष्पादित किये जाने का सत्यापन (यदि नियमों में इसका प्राविधान हो) राजस्व विभाग द्वारा अवश्य करा लिया जाय। यदि उक्त आराजी आउटलेट के स्वामी के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज न हो अथवा उसके नाम भूस्वामी द्वारा पंजीकृत लीज–डीड का निष्पादन न हो अथवा उक्त प्रस्तावित कार्यस्थल भूमि का मा० न्यायालय में यदि कोई वाद / मुकदमा लम्बित हो, तो अनापत्ति प्रमाण पत्र न निर्गत किया जाय।
4. संलग्न मानचित्र एवं भविष्य को देखते हुए प्रथम फिलिंग प्वाइंट 32.86 मीटरए द्वितीय फिलिंग प्वाइंट 41.86 मीटर, तृतीय फिलिंग प्वाइंट 48.86 मीटर एवं चतुर्थ फिलिंग प्वाइंट 55.86 मीटर से कम दूरी पर न बनाया जाय।
5. मार्ग के जंक्शन बिन्दु पर जल निकासी हेतु मानचित्र के अनुसार 1.00 मीटर स्पान की आर०सी०सी० पुलिया निर्माण के साथ दोनों तरफ पैरापिट एवं क्रास ड्रेनेज हेतु पक्की नाली का निर्माण आउटलेट के स्वामी द्वारा स्वंय के खर्चे पर अवश्य कराना सुनिश्चित किया जाय।
6. बफर स्ट्रिप की लम्बाई 12.00 मी० एवं चौड़ाई 3.00 मी० से कम नहीं होनी चाहिए।
7. आई०आर०सी० कोड के अनुसार प्रस्तावित कार्य का फ्रन्टेज / प्रवेश एवं निकास क्रमशः न्यूनतम लम्बाई 35.00 मी० / 11.50 मी० एवं 11.50 मी० तथा स्लोप 2 प्रतिशत से कम न रखा जाय।
8. रिफ्लेक्टिव साइन बोर्ड / सूचना पट / काशन बोर्ड, अग्निशमन यन्त्र इत्यादि लगवाने की व्यवस्था आउटलेट के स्वामी द्वारा स्वंय के खर्चे पर अवश्य कराना सुनिश्चित किया जाय।
9. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट की स्थापना के समय एवं स्थापना के पश्चात यातायात कदापि प्रभावित न किया जाय।

SIDDHARTH JAIN
Chief Regional Manager
Kanpur Retail Regional Office
Hindustan Petroleum Corporation Limited

10. प्रस्तावित कार्य स्थल के सामने मार्ग की पटरी पर जल–मल निकासी मार्ग की तरफ न किया जाय तथा निर्माण सामग्री मार्ग के किनारे पटरी पर न रखा जाय।

11. प्रस्तावित कार्यस्थल का कुर्सी तल मार्ग की लेपित सतह से 30 सेंमी0 (1 फिट) नीचे रखी जाय।

12. निर्माण स्थल के सामने एवं मुख्य मार्ग के बीच में बची हुई लो0नि0वि0 की भूमि पर किसी कम्पनी का बोर्ड एवं लाइट आदि के पोल/खम्भे इत्यादि कदापि नहीं लगाये जायेंगे।

13. प्रस्तावित निर्माण कार्य अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष समयावधि में, न होने पर आउटलेट स्वामी को पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र की अनुमति सक्षम अधिकारी से लेना होगा।

14. लो0नि0वि0 की सरकारी भूमि जो प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग के रुप में उपभोग होगी उसको सदैव सही दशा में प्रार्थी द्वारा रखने तथा इसका स्वामित्व सदैव उ0प्र0 सरकार (लोक निर्माण विभाग) का ही रखने से सम्बन्धित प्रतिशपथ पत्र भू–स्वामी/पेट्रोल पम्प मालिक से प्राप्त करने के पश्चात ही अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाय।

15. सड़क सुरक्षा हेतु सम्बन्धित कार्य अधिशासी अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य स्थल पर कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

16. प्रस्तावित निर्माण कार्य शासनादेश सं0–1882/23–12–19–1365/17टी.सी. दिनांक 04 दिसम्बर, 2019 के प्राविधानों/विशिष्टियों के अनुसार ही कराया जाय। यदि शासनादेश सं0–1882/23–12–19–1365/17टी.सी. दिनांक 04 दिसम्बर, 2019 में दिये गये निर्देशों/विशिष्टियों/मानक के अनुरुप निर्माण कार्य नहीं किया जाता है, तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व आउटलेट स्वामी का होगा एवं निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।

17. प्रस्तावित निर्माण कार्य IRC : 12-2009 (Guidelines for Access, Location and Layout of Roadside Fuel Station and Sub Station) के प्राविधानों/विशिष्टियों के अनुसार ही कराया जाय। यदि IRC : 12-2009 में दिये गये विशिष्टियों/मानक के अनुरुप निर्माण कार्य नहीं किया जाता है, तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व आउटलेट स्वामी का होगा एवं निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।

उक्त के अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता द्वारा शा0सं0–1882/23–12–19–1365/17टी.सी. दिनांक 04.12.2019 के अनुसार चेक लिस्ट, मानचित्र की मूल 03 में संलग्न किया गया है एवं रु0 3,00,000.00 (रु0 तीन लाख) मात्र का डिमाण्ड ड्राफ्ट सं0–293928 दिनांक 29.11.2021 एवं रु0 10,000.00 (रु0 दस हजार) मात्र का डिमाण्ड ड्राफ्ट सं0–293927 दिनांक 29.11.2021, जो कि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–2, लो0नि0वि0, फतेहपुर के पक्ष में देय है, सम्बन्धित खण्ड के कार्यालय में जमा किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न की गई है।
संलग्नक :– मानचित्र एक प्रति।

6/01

(के0के0 पाहूजा)
मुख्य अभियन्ता
प्रयागराज क्षेत्र, लो0नि0वि0,
प्रयागराज

पत्रांक :– / यात्ता(फते0)–प्रया0क्षे0/2021 दिनांक :– / /2022

1. प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, प्रतापगढ़ वृत्त, लो0नि0वि0, प्रतापगढ़ को उनके पत्र संख्या 5558/1सी0–प्र0फ0वृ0/2021 दिनांक 16.12.2021 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–2, लो0नि0वि0, फतेहपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य अभियन्ता
प्रयागराज क्षेत्र, लो0नि0वि0,
प्रयागराज

SIDDHARTH JAIN
Chief Regional Manager
Kanpur Retail Regional Office
Hindustan Petroleum Corporation Limited